कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री रामनिवास मीणा रोल नम्बर 116929 मेरीट नम्बर 1940 वर्ग ST,RG चयन वर्ग STM जन्मतिथि 01.07.1983 का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा–2015) राजनीति विज्ञान, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल–12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) निमय 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान पर इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक 13.06.2017 द्वारा राउमावि पिण्डोला, मनोहरथाना, झालावाड में पदस्थापित किया गया।

श्री रामनिवास मीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि पिण्डोला, मनोहरथाना, झालावाड में कार्यरत रहते हुए वेतन एरियर बिल में आक्षेप पर हस्ताक्षर कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने एवं डीडीओ पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाने का गम्भीर कृत्य करने के कारण राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम 1971 के नियम 3(1)(i),3(1)(ii),3(2)(ii) व 4(ड)(i) का उल्लघंन करने के आरोप से आरोपित किया गया।

उक्त की वक्त सुनवाई में स्वीकारोक्ति उपरांत इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11577/R–356/2020/92–93 दिनांक 05.10.2020 द्वारा श्री रामनिवास मीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने (WITH HOLD ONE GRADE INCREMENT WITH CUMULATIVE EFFECT) के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः श्री रामनिवास मीणा का परिवीक्षा की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवाऐं संतोषप्रद नही पाई जाने के कारण राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 30 के प्रावधानानुसार परिवीक्षाकाल एक (01) वर्ष की कालावधि के लिए एतद्दवारा बढाया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमाकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/पीएससी रिशफल–15/स्थाईकरण/20–21 दिनांकः–18/03/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2–संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
3–संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4–संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5–अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी/विभागीय जांच अनुभाग ।
6–सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
7–निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री मनोज कुमार रोल नम्बर 109218 मेरीट नम्बर 1792 वर्ग SC,RG चयन वर्ग SCM जन्मतिथि 09.06.1979 का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा–2015) राजनीति विज्ञान, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल–12 के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) निमय 2017 के प्रावधानान्तर्गत 02 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान पर इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/नियुक्ति–राजनीतिविज्ञान/पीएससी–15/2015 दिनांक 24.08.2018 द्वारा श्री म.ला.प. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीमलवाडा, डूंगरपुर में पदस्थापित किया गया।

श्री मनोज कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान श्री म.ला.प. राउमावि सीमलवाडा, डूंगरपुर में शिक्षण कार्य कराने के दौरान सत्र 2018–19 में कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान का बोर्ड परीक्षा परिणाम 37.04 प्रतिशत विभागीय मानदण्ड से न्यून रहने के कारण नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा एवं सत्र 2019–20 में नामांकन, सत्र 2018–19 में 54 विद्यार्थी के बजाय घटकर 28 विद्यार्थी रह गया।

श्री मनोज कुमार द्वारा शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने एवं विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/सी/11420/256/2018–19/2020/30 दिनांक 28.09.2020 द्वारा श्री मनोज कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने (WITH HOLD ONE GRADE INCREMENT WITHOUT CUMULATIVE EFFECT) के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः श्री मनोज कुमार का परिवीक्षा की कालावधि के दौरान परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में सेवाऐं संतोषप्रद नही पाई जाने के कारण राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 30 के प्रावधानानुसार परिवीक्षाकाल एक (01) वर्ष की कालावधि के लिए एतद्दवारा बढाया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमाकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/पीएससी रिशफल–15/स्थाईकरण/20–21 दिनांकः–18/03/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2–संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
3–संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4–संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
5–अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी/विभागीय जांच अनुभाग ।
6–सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत् ।
7–निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर